


<p>तारीख हुकम</p>	<p>सहायक उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड (मोलवाडा)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>12/5/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। तमीलवाडी एण्ड प्रिविणी सरख्या 01, 02 उपखण्ड। एकड़ण में प्रिविणी सरख्या 02 का पूर्व में पेश हुआ जवाब आज दिनांक को शाण्ड्यादिपा गया। प्रिविणी सु: 01 जवाब पेश नहीं कांता चालते है प्रिविणी सरख्या 01 का जवाब बन्द किया जाता है। एकड़ण में प्रिविणी सरख्या 02 में एकड़ण में अज्ञातिका के श्रवणादिना के आचार पर सुनवाई का अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्देश किया प्रिविणी सरख्या 02 का निर्देश स्वीकार किया जाकर उम्पपड़ की बहम सुनी शरी, बहम के दौरान वकीलवाणी में वाडवाड में वाणिरि गण्डे को देहरी इष्ट वारी का वाड स्वीकार किये जाने का निर्देश किया एवं पटरा वाम ध्याप 91' के नोडि वरमान जमावरी एण्ड वलान्य गुप-6 दिनांक 11/02/2008 सदात्यात सदात जिला कार्यालय अस्पष्ट जिला कलक्टर मोलवाडा के अध्यातक रिपोर्ट मोका पंचनामा मंच नजदी मण्डा भाडी पेश का निर्देश किया कि</p>	<p>12/5/25 कलक्टर करेड</p>

सहायक उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज पदेन सहायक कलक्टर करंडा (मीलवाडा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p> <del>वाइसराय आपानियर तत्कालिन स्वाभिमानी</del>  <del>हारा जारिटे पदरा से कल्ला सुपुड</del>  <del>किया गया, जब से वारीडान</del>  <del>कार्बन होकर उपयोग कर रहे है</del>  <del>इस काइण वारी का वाड मुक्ति</del>  <del>भूति का होने से त्रैजाचिकार (श्रीमान)</del>  <del>का ही है उक्त विन्ड पर स्वाभिमानी</del>  <del>वही किया जाये। वाड सुनवार</del>  <del>सुझा के आघार पर निर्णय किया</del>  <del>जाये। परिषदी सं. 02 ने कएने</del>  <del>बलम कवन किया कि वाडसु</del>  <del>आपानियर वरमान से वन विमा</del>  <del>के नाम पर शिको है इत वन</del>  <del>भूति पर वन संरक्षण आधिकारिक</del>  <del>1988 एक्सीरान 1988 प्रभाषी</del>  <del>हने से बिना भारत सुकप की</del>  <del>अग्रम के वन भूति में बदलाव</del>  <del>सूची किया जा सकरा माननीय</del>  <del>सुपान्द्व न्याय हाप प्र सं. 202/2005</del>  <del>रीसन एकर गोडानमग बनाम भारत</del>  <del>संघ दिनांक 12/12/1996 में वन</del>  <del>भूति को गेर वन भूमि में के कंप</del>  <del>में उपयोग उपभोग किया जात पर</del>  <del>परिषन्धर किया गया है। एवं</del> </p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करंडा

तारीख दृश्य	न्यायालय उपसभ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेडा (भीलवाडा) द्वारा या कार्यवाही मय इनामियत्व जज	नम्बर य तारीख आह्वान जो इस दृश्य की तारीख में जारी हुए
	<p>राज्य रिकॉर्ड में इन्ट्राप होने के पश्चात बिना उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के पालित्व की शर्तों में नहीं है कि इन्फार्म के मैजिस्ट्रेट एव श्रेयणाधिकार का नहीं होने से वारी का वाड पूरा नहीं हो पा रहा है।</p> <p>इस पर खासियत किया जा रहा है। उभयपक्ष अधिवक्ता की बटम पर मंगल किया काबूनी सिद्ध का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध फोटोकॉपी व राज्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया। नोटपश्चात न्यायालय का निष्कर्ष यह रहा है कि प्राइमरी अपीलदार राज्य रिकॉर्ड में वन चूक के रूप में दर्ज है जिसमें उक्त वाड पूरा न्यायालय के द्वारा के मैजिस्ट्रेट व श्रेयणाधिकार का नहीं होने से वारी का वाड पूरा नहीं हो पा रहा है। इस पर खासियत किया जा रहा है। वारी सत्र न्यायालय में जा रहे हैं। हेरु स्वयं है सत्र न्यायालय में जा रहे हैं। वारी की हिदायत ही वारी पत्रावली फलपु शक्य होकर उक्त मामला से कतल है। इसी पत्रावली में है।</p>	

20/11/20  
 उपसभ अधिकारी पदेन  
 सहायक कलेक्टर करेडा